



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022023-243371
CG-DL-E-02022023-243371

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 509]
No. 509]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 2, 2023/माघ 13, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 2, 2023/MAGHA 13, 1944

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2023

का.आ. 529(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा प्रकाशित मॉफॉलिन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त आदेश में, पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ (2) के लिए, निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(2) यह आदेश 1 अगस्त, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. सी. II-13012/3/2021-रसा.II]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

नोट: मॉफॉलिन के लिए मुख्य आदेश को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1893(अ) तारीख 16 जून, 2020 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का.आ. 2030(अ) तारीख 25 मई, 2021, का.आ. 399(अ) तारीख 31 जनवरी, 2022 और का.आ. 3457(अ) तारीख 27 जुलाई, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Chemicals and Petrochemicals)****ORDER**

New Delhi, the 2nd February, 2023

S.O. 529(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Morpholine (Quality Control) Order, 2020 published by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely:—

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) This order shall come into force on the 1st August, 2023.”

[F. No. C.II-13012/3/2021- Chem.II]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note: The principal order for Morpholine was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1893(E) dated the 16th June, 2020. Subsequently amended vide notification numbers S.O. 2030(E) dated the 25th May, 2021, S.O. 399(E) dated the 31st January, 2022 and S.O. 3457(E) dated the 27th July, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2023

का.आ. 530(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग द्वारा प्रकाशित एसिटिक एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त आदेश में, पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ (2) के लिए, निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

“(2) यह आदेश 3 अगस्त, 2023 को प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. सी. II-13012/3/2021-रसा.II]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

नोट: एसिटिक एसिड के लिए मुख्य आदेश को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 2791(अ) तारीख 5 अगस्त, 2019 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का.आ. 344(अ) तारीख 24 जनवरी, 2020, का.आ. 2179(अ) तारीख 1 जुलाई, 2020, का.आ. 3799(अ) तारीख 22 अक्तूबर, 2020, का.आ. 1676(अ) तारीख 19 अप्रैल, 2021, का.आ. 396(अ) तारीख 31 जनवरी, 2022 और का.आ. 3458(अ) तारीख 27 जुलाई, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 2nd February, 2023

S.O. 530(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Acetic Acid (Quality Control) Order, 2019 published by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely:—

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) This order shall come into force on the 3rd August, 2023.”

[F. No. C.II-13012/3/2021- Chem.II]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note: The principal order for Acetic Acid was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 2791(E) dated the 5th August, 2019. Subsequently amended vide notification numbers S.O. 344(E) dated the 24th January, 2020, S.O. 2179 (E) dated the 1st July, 2020, S.O. 3799 (E) dated the 22nd October 2020, S.O.1676(E) dated the 19th April, 2021, S.O. 396 (E) dated the 31st January, 2022 and S.O.3458(E) dated the 27th July, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2023

का.आ. 531(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग द्वारा प्रकाशित मेथनॉल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त आदेश में, पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ (2) के लिए, निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(2) यह आदेश 3 अगस्त, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. सी. II-13012/3/2021-रसा.II]

सुशान्त कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

नोट: मेथनॉल के लिए मुख्य आदेश को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 2793(अ) तारीख 5 अगस्त, 2019 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का.आ. 345(अ) तारीख 24 जनवरी, 2020, का.आ. 2181(अ) तारीख 1 जुलाई, 2020, का.आ. 3795(अ) तारीख 22 अक्टूबर, 2020, का.आ. 1681(अ) तारीख 19 अप्रैल, 2021, का.आ. 398(अ) तारीख 31 जनवरी, 2022 और का.आ. 3459(अ) तारीख 27 जुलाई, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 2nd February, 2023

S.O. 531(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Methanol (Quality Control) Order, 2019 published by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely:—

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) This order shall come into force on the 3rd August, 2023.”

[F. No. C.II-13012/3/2021- Chem.II]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note: The principal order for Methanol was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 2793(E) dated the 5th August, 2019. Subsequently amended vide notification numbers S.O. 345(E) dated the 24th January, 2020, S.O. 2181 (E) dated the 1st July, 2020, S.O. 3795(E) dated the 22nd October 2020, S.O. 1681(E) dated the 19th April, 2021, S.O. 398(E) dated the 31st January, 2022 and S.O. 3459(E) dated the 27th July, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2023

का.आ. 532(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोसायन विभाग द्वारा प्रकाशित एनीलिन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त आदेश में, पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ (2) के लिए, निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(2) यह आदेश 3 अगस्त, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. सी. II-13012/3/2021-रसा.II]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

नोट: एनीलिन के लिए मुख्य आदेश को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 2792(अ) तारीख 5 अगस्त, 2019 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का.आ. 203(अ) तारीख 15 जनवरी, 2020, का.आ. 2180(अ) तारीख 1 जुलाई, 2020, का.आ. 3796(अ) तारीख 22 अक्टूबर, 2020, का.आ. 1677(अ) तारीख 19 अप्रैल, 2021, का.आ. 397(अ) तारीख 31 जनवरी, 2022 और का.आ. 3460(अ) तारीख 27 जुलाई, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 2nd February, 2023

S.O. 532(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Aniline (Quality Control) Order, 2019 published by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely:—

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(2) This order shall come into force on the 3rd August, 2023."

[F. No. C.II-13012/3/2021- Chem.II]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note: The principal order for Aniline was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 2792(E) dated the 5th August, 2019. Subsequently amended vide notification numbers S.O. 203(E) dated the 15th January, 2020, S.O. 2180(E) dated the 1st July, 2020, S.O. 3796 (E) dated the 22nd October 2020, S.O. 1677(E) dated the 19th April, 2021, S.O.397(E) dated the 31st January, 2022 and S.O. 3460(E) dated the 27th July, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2023

का.आ. 533(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोसायन विभाग द्वारा प्रकाशित पाइरीडीन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त आदेश में, पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ (2) के लिए, निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(2) यह आदेश 13 सितंबर, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. सी. II-13012/3/2021-रसा.II]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

नोट: पाइरीडीन के लिए मुख्य आदेश को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1890 (अ) तारीख 16 जून, 2020 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का.आ. 4416 (अ) तारीख 4 दिसंबर, 2020, का.आ. 1682 (अ) तारीख 19 अप्रैल, 2021, का.आ. 1136 (अ) तारीख 11 मार्च, 2022 और का.आ. 3764(अ) तारीख 11 अगस्त, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 2nd February, 2023

S.O. 533(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Pyridine (Quality Control) Order, 2020 published by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely:—

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) This order shall come into force on the 13th September, 2023.”

[F. No. C.II-13012/3/2021- Chem.II]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note: The principal order for Pyridine was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1890(E) dated the 16th June, 2020. Subsequently amended vide notification numbers S.O. 4416(E) dated the 4th December, 2020, S.O. 1682(E) dated the 19th April, 2021, S.O. 1136 (E) dated the 11th March, 2022 and S.O. 3764(E) dated the 11th August, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2023

का.आ. 534(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग द्वारा प्रकाशित गामा पिकोलिन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त आदेश में, पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ (2) के लिए, निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

“(2) यह आदेश 13 सितंबर, 2023 को प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. सी. II-13012/3/2021-रसा.II]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

नोट: गामा पिकोलिन के लिए मुख्य आदेश को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1891 (अ) तारीख 16 जून, 2020 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का.आ. 4410 (अ) तारीख 4 दिसंबर, 2020, का.आ. 1679 (अ) तारीख 19 अप्रैल, 2021, का.आ. 1137 (अ) तारीख 11 मार्च, 2022 और का.आ. 3765 (अ) तारीख 11 अगस्त, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 2nd February, 2023

S.O. 534(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Gamma Picoline (Quality Control) Order, 2020 published by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely:—

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) This order shall come into force on the 13th September, 2023.”

[F. No. C.II-13012/3/2021- Chem.II]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note: The principal order for Gamma Picoline was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1891(E) dated the 16th June, 2020. Subsequently amended vide notification numbers S.O. 4410(E) dated the 4th December, 2020, S.O. 1679(E) dated the 19th April, 2021, S.O. 1137 (E) dated 11th March, 2022 and S.O. 3765(E) dated the 11th August, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2023

का.आ. 535(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग द्वारा प्रकाशित बीटा पिकोलिन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त आदेश में, पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ (2) के लिए, निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

“(2) यह आदेश 13 सितंबर, 2023 को प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. सी. II-13012/3/2021-रसा.II]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

नोट: बीटा पिकोलिन के लिए मुख्य आदेश को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1892 (अ) तारीख 16 जून, 2020 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का.आ. 4409 (अ) तारीख 4 दिसंबर, 2020, का.आ. 1678 (अ) तारीख 19 अप्रैल, 2021, का.आ. 1138 (अ) तारीख 11 मार्च, 2022 और का.आ. 3766 (अ) तारीख 11 अगस्त, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 2nd February, 2023

S.O. 535(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Beta Picoline (Quality Control) Order, 2020 published by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely:—

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) This order shall come into force on the 13th September, 2023.”

[F. No. C.II-13012/3/2021- Chem.II]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note: The principal order for Beta Picoline was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1892(E) dated the 16th June, 2020. Subsequently amended vide notification numbers S.O. 4409(E) dated the 4th December, 2020, S.O. 1678(E) dated the 19th April, 2021, S.O. 1138(E) dated the 11th March, 2022 and S.O. 3766(E) dated the 11th August, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2023

का.आ. 536(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा प्रकाशित पोटेशियम कार्बोनेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त आदेश में, पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ (2) के लिए, निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(2) यह आदेश 13 सितंबर, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. सी. II-13012/3/2021-रसा.II]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

नोट: पोटेशियम कार्बोनेट के लिए मुख्य आदेश को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1895 (अ) तारीख 16 जून, 2020 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का.आ. 4415 (अ) तारीख 4 दिसंबर, 2020, का.आ. 1683 (अ) तारीख 19 अप्रैल, 2021, का.आ. 1139 (अ) तारीख 11 मार्च, 2022 और का.आ. 3767 (अ) तारीख 11 अगस्त, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 2nd February, 2023

S.O. 536(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Potassium Carbonate (Quality Control) Order, 2020 published by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely:—

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) This order shall come into force on the 13th September, 2023.”

[F. No. C.II-13012/3/2021- Chem.II]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note: The principal order for Potassium Carbonate was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1895(E) dated the 16th June, 2020. Subsequently amended vide notification numbers S.O. 4415(E) dated the 4th December, 2020, S.O. 1683(E) dated the 19th April, 2021, S.O. 1139(E) dated the 11th March, 2022 and S.O. 3767(E) dated the 11th August, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2023

का.आ. 537(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा प्रकाशित एसीटोन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त आदेश में, पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ (2) के लिए, निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(2) यह आदेश 13 सितंबर, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. सी. II-13012/3/2021-रसा.II]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

नोट: एसीटोन के लिए मुख्य आदेश को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1896(अ) तारीख 16 जून, 2020 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का.आ. 3087(अ) तारीख 9 सितंबर, 2020, का.आ. 1097(अ) तारीख 8 मार्च, 2021, का.आ. 3461(अ) तारीख 16 अगस्त, 2021, का.आ. 1141(अ) तारीख 11 मार्च, 2022 और का.आ. 3768(अ) तारीख 11 अगस्त, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 2nd February, 2023

S.O. 537(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Acetone (Quality Control) Order, 2020 published by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely:—

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) This order shall come into force on the 13th September, 2023.”

[F. No. C.II-13012/3/2021- Chem.II]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note: The principal order for Acetone was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1896(E) dated the 16th June, 2020. Subsequently amended vide notification numbers S.O. 3087(E) dated the 9th September, 2020, S.O. 1097(E) dated the 8th March, 2021, S.O. 3461(E) dated the 16th August, 2021, S.O. 1141 (E) dated the 11th March, 2022 and S.O. 3768(E) dated the 11th August, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2023

का.आ. 538(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोसायन विभाग द्वारा प्रकाशित सोडियम ट्राईपोलीफॉस्फेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त आदेश में, पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ (2) के लिए, निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

“(2) यह आदेश 13 सितंबर, 2023 को प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. सी. II-13012/3/2021-रसा.II]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

नोट: सोडियम ट्राईपोलीफॉस्फेट के लिए मुख्य आदेश को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1903(अ) तारीख 16 जून, 2020 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का.आ. 4417(अ) तारीख 4 दिसंबर, 2020, का.आ. 1684(अ) तारीख 19 अप्रैल, 2021, का.आ. 1140(अ) तारीख 11 मार्च, 2022 और का.आ. 3769(अ) तारीख 11 अगस्त, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 2nd February, 2023

S.O. 538(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Sodium Tripolyphosphate (Quality Control) Order, 2020 published by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely:—

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) This order shall come into force on the 13th September, 2023.”

[F. No. C.II-13012/3/2021- Chem.II]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note: The principal order for Sodium Tripolyphosphate was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1903(E) dated the 16th June, 2020. Subsequently amended vide notification numbers S.O. 4417(E) dated the 4th December, 2020, S.O. 1684(E) dated the 19th April, 2021, S.O. 1140 (E) dated the 11th March, 2022 and S.O. 3769(E) dated the 11th August, 2022.